

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/ आजमगढ़ मण्डल/19-20/ ⁹⁵⁸¹ दिनांक : 17.02.2020

विषय : राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा जनवरी 2020 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

अवगत कराना हैं कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये। (विवरण संलग्न)

कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नक—भ्रमण आख्या।

भवदीया

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/ आजमगढ़ मण्डल/19-20/

तददिनांक

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, आजमगढ़।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रबंधक, एन0एच0एम0, आजमगढ़ उ0प्र0।

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/ आजमगढ़ मण्डल/19-20/ दिनांक : 17.02.2020

विषय : राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा जनवरी 2020 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

अवगत कराना हैं कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये। (विवरण संलग्न)

कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नक—भ्रमण आख्या।

भवदीया

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्या :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/ आजमगढ़ मण्डल/19-20/9581-7 तददिनांक

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, आजमगढ़।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजमगढ़ उ0प्र0।

(जसजीत कौर)

अपर मिशन निदेशक

राज्य स्तरीय सपोर्टिव सुपरविजन विजिट आख्या

जनपद-आजमगढ़

भ्रमण अवधि-28 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020

राज्य स्तरीय टीम

1. श्री प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता, मातृत्व स्वास्थ्य।
2. श्री जैनेन्द्र कुमार मिश्रा, परामर्शदाता, प्रोक्वोरमेण्ट।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयों

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र -अहरौला, ब्लाक अहरौला।
2. उपकेन्द्र - ओरिल, ब्लाक अहरौला।
3. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र, अहरौला एवं नोनरा ओरिल, ब्लाक अहरौला।
4. महापंडित राहुल संस्कृतायायन जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़।
5. 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग अतरौलिया आजमगढ़।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - अतरौलिया, ब्लाक अतरौलिया।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राज्य स्तरीय टीम सदस्य प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता-मातृ स्वास्थ्य एवं जैनेन्द्र मिश्रा, परामर्शदाता, प्रोक्वोरमेण्ट द्वारा दिनांक 28 से 31 जनवरी 2020 के मध्य जनपद आजमगढ़ का भ्रमण कर एल-3, एल-2 व एल-1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों तथा सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया। भ्रमण के तृतीय दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रभारी चिकित्साधिकारियों, ब्लाक लेखा प्रबंधक, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लाक सामुदायिक कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एवं जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य के साथ समीक्षा/डिब्रीफिंग भी किया गया। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है-

Report Analysis Maternal Health

Block Ahiraula

(Source data HMIS up to Dec 2019)

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
1.1	Total number of pregnant women registered for ANC	3707	
1.2.4	Number of PW given 180 Iron Folic Acid (IFA) tablets	3571	96.33%
1.2.5	Number of PW given 360 Calcium tablets	209	5.64%
1.2.6	Number of PW given one Albendazole tablet after 1st trimester	260	7.01%
1.2.7	Number of PW received 4 or more ANC check ups	2836	76.50%
1.4.1	Number of PW tested for Haemoglobin (Hb) 4 or more than 4 times for respective ANC's	2796	75.42%
1.4.2	Number of PW having Hb level<11 (tested cases)(7.1 to 10.9)	3990	155.83%
1.4.3	Number of PW having Hb level<7 (tested cases)	367	
1.4.4	Number of PW having severe anaemia (Hb<7) treated	276	9.87%
1.5.1	Number of PW tested for blood sugar using OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)	312	8.42%
1.6.2.a	Number of pregnant women tested for Syphilis	800	21.58%
15.3.3.a	Number of pregnant women screened for HIV	1020	27.52%
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections)	1861	50.20%
2.2.1	Out of total institutional deliveries number of women discharged within 48 hours of delivery	467	25.09%

ब्लाक अहरौला के एच0एम0आई0एस0 दिसम्बर 2019 तक के रिपोर्ट के ऑकड़ों के आकलन से स्पष्ट है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए0एन0सी0 के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क औषधियों का वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। आई0एफ0ए0 टेबलेट 96.33%,कैल्शियम टेबलेट 5.64%, एवं एल्बेंडाजॉल टेबलेट 7.01%।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए0एन0सी0 के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क जाँच की सुविधा से समस्त गर्भवती महिलाओं को आच्छादित नहीं किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की चार जाँच 75.42%, मधुमेह की जाँच 8.42%, सिफिलिस की जाँच 21.58% एवं एच0आई0वी0 की जाँच 27.52%।

- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए0एन0सी0 के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव 50.20% है एवं संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 467 (25.09%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –अहरौला, ब्लॉक अहरौला

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसर:-		
लेवर रूम में अत्यन्त कम स्पेस है एवं भर्ती मरीजों के लिए शौचालय भी गन्दा एवं शौचालय अक्रियाशील हालत में पाया गया। लेवर रूम में शौचालय पूर्णतः अक्रियाशील हालत में पाया गया	सफाई व्यवस्था सामने ही प्रारम्भ कराई गई। उपलब्ध संसाधनों में आवश्यक व्यवस्थाओं में निरंतरता बनाये रखने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेवर रूम एवं ए0 एन0 सी0 वार्ड में बिजली व प्रकाश व्यवस्था नहीं है।	पर्याप्त पावर बैक, एवं बिजली व प्रकाश व्यवस्थाएँ करने का सुझाव दिया गया। बल्ब की व्यवस्था कराई गई।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि का अभाव वेंटिंग एरिया में देखने को मिला।	मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आई0ई0सी0:-		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 पुरानी व आवश्यकतानुसार प्रदर्शित नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया। समस्त 16 पोस्टरों की साफ्ट कॉपी प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराई गई, साथ ही मानकानुसार प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेंटिंग नहीं है।	विभिन्न योजनाओं के अपडेटेड प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेंटिंग की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई तथा यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बायोमेडिकल वेस्ट-		
उपस्थित स्टाफ को भी बेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। कलर कोडेड डस्टबिन उपलब्ध नहीं है एवं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी क्रियाशील नहीं है। शौचालय प्रयोग करने लायक नहीं था।	बायोमेडिकल वेस्ट का सही प्रकार से प्रबन्धन करने व बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मातृत्व स्वास्थ्य:-		
प्रसव कक्ष में कैलिस पैड पन्चर था। डिजिटल क्लॉक नहीं लगा था। सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नहीं था। प्रकाश की उचित व्यवस्था इतनी खराब है कि रात्री में स्टाफ को मोबाइल फोन या टार्च की रौशनी में भी प्रसव कराना पड़ता है।	प्रसव कक्ष में मानकानुसार डिजिटल घड़ी, आदि व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रसव के दौरान इस्तेमाल औजारों को ऑटोक्लेव नहीं किया जा रहा है। ऑटोक्लेव के स्थान पर एक छोटे सा इन्स्ट्रुमेंट स्टेरिलाइजर था जो खराब था।	ऑटोक्लेव व्यवस्था उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर,	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर,	सम्बन्धित स्टाफ

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
ए0एन0सी0 रजिस्टर नहीं भरा जा रहा था। एम0सी0टी0एस0 नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे।	ए0एन0सी0 रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया एवं मानकानुसार मार्गदर्शन भी किया गया।	
गर्भवती महिलाओं के पास मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0कार्ड) था। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुराना फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार दो कॉपी में लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नहीं दिया जा रहा है। केसशीट उपलब्ध था। दिशा-निर्देश के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मानकानुसार डाइट रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है।	मानकानुसार रिकार्ड भरे जाने का मार्गदर्शन एवं सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अहरौला चार बेडेड है, परन्तु तीन बेड ही संचालन योग्य है। मौजूदा एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2019 तक 1,861 प्रसव के सापेक्ष 467 (25.09%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई परन्तु प्रसव पंजिका की जाँच में पाया गया प्रसव भार के अनुसार 6 से 7 घण्टे ही प्रसूतों को रोका जा पा रहा है।	जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बेड का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
समस्त गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैल्शियम ,आई0एफ0ए0 एवं फोलिक एसिड टेबलेट वितरित नहीं किया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैल्शियम टेबलेट उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य फार्मासिस्ट के वार्ता की गई।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी0एन0सी0 वार्ड में लगा हुआ पाया गया। लाभार्थियों को नाश्ता व भोजन नहीं दिया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत लाभार्थियों गुणवत्तापूर्ण भोजन दिए जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बाल स्वास्थ्य:-		
टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रीज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ
परिवार नियोजन-		
कण्डोम बाक्स नहीं लगा था।	कण्डोम बाक्स लगाने व प्रतिदिन भरने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रयोगशाला-		
प्रयोगशाला में साफ-सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स फालो किये जा रहे थे।	सम्बन्धित को साफ-सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स नियमित रूप से फालो करने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
औषधि, ड्रग स्टोर एवं ई0डी0एल0		
वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि फार्मासिस्ट ई0डी0एल0 से अनभिज्ञ है।	समस्त फार्मासिस्टों को ई0डी0एल0 उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	ए0सी0एम0ओं0 स्टोर व चीफ फार्मासिस्ट
ई0डी0एल0 का प्रदर्शन नहीं किया गया था।	अपडेटेड ई0डी0एल0 का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का	प्रभारी चिकित्साधिकारी

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
सीटीजन चार्टर पुराना लगा हुआ था।	सुझाव दिया गया।	
मेडिकल स्टोर एवं स्टोर में औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार नहीं था।	फार्मासिस्ट को औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित फार्मासिस्ट
मेडिकल स्टोर में कैल्सियम की गोलियां उपलब्ध नहीं थीं किन्तु जांच करने पर पता चला कि स्टोर में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है।	फार्मासिस्ट को कैल्सियम की गोलियां मेडिकल स्टोर में उपलब्ध कराई गई एवं सम्बन्धित मरीजों को वितरण करवाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित फार्मासिस्ट
आई0एफ0ए0 रेड गोली एवं डिजिटल ग्लूको स्ट्रिप एक्सापायरी के नजदीक है जो कि स्टोर में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध थीं किन्तु वी0एच0एन0डी0 सत्र में ए0एन0एम0 के पास ग्लूकोमीटर व स्ट्रिप एवं कैल्सियम उपलब्ध नहीं है।	वी0एच0एन0डी0 सत्र में ए0एन0एम0 के पास ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप एवं कैल्सियम की गोलियां उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
टेली मेडिसिन		
अहरौला सी0एच0सी0 में चल रहे टेली मेडिसिन सेन्टर की जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि उनका एक्स रे व्यू बाक्स कार्य नहीं कर रहा है।	एक्स रे व्यू बाक्स को जल्द से जल्द सही कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित सेवाप्रदाता
टेली मेडिसिन सेन्टर द्वारा मरीजों को लिखि जा रही दवाईयों का नाम जेनरिक न होकर ब्रान्डेड है। जिससे फार्मासिस्ट को दवाई वितरण के समय कठिनाई होती है साथ ही ज्यादातर औषधियां ब्रान्डेड होने एवं उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को बाहर से खरीदने पड़ रही है।	दवाईयां सिर्फ जेनरिक नाम से ही मरीजों को लिखे जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित सेवाप्रदाता एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी
बायोमेडिकल कलेक्शन शेड का निर्माण अभी नहीं हुआ है।	बायोमेडिकल कलेक्शन शेड का निर्माण किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी

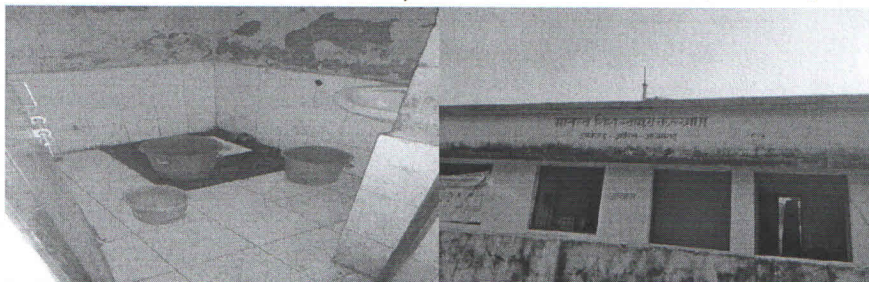
उपकेन्द्र— ओरिल, ब्लाक अहरौला

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
उपकेन्द्र परिसर:-		
परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। परिसर की रंगाई-पुताई भी नहीं करायी गयी है।	परिसर की साफ-सफाई मेण्टेन रखने का सुझाव दिया गया। साथ ही सामने सफाई प्रारम्भ कराई गई।	सम्बन्धित ए0एन0एम0
प्रसव कक्ष, परिसर एवं शौचालय में लाइट (विद्युत आपूर्ति) नहीं था। शौचालय प्रयोग किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं था।	परिसर एवं शौचालय में लाइट (विद्युत आपूर्ति) सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारीचिकित्साधिकारी/ सम्बन्धित ए0एन0एम0
सभी कमरों हेतु पंखों, का अभाव है एवं सफाई भी नहीं की जा रही है। इनवर्टर की व्यवस्था नहीं है।	पंखों व इनवर्टर की व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारीचिकित्साधिकारी/ सम्बन्धित ए0एन0एम0
आई0ई0सी0:-		
परिसर ब्लाक मुख्यालय परिसर में स्थापित है। भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने एवं समस्त 16 पोस्टरों की साफ्ट कॉपी प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराई गई, साथ ही मानकानुसार प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारीचिकित्साधिकारी/ सम्बन्धित ए0एन0एम0
प्रसव कक्ष:-		
मानकानुसार उपकेन्द्र की प्राथमिक आवश्यकता (विद्युत आपूर्ति एवं निवाद्य जल आपूर्ति) की पूर्ति न होने के बावजूद प्रसव कराया जा रहा है।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व एस0बी0ए0 प्रोटाकाल पोस्टर आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारीचिकित्साधिकारी/ सम्बन्धित ए0एन0एम0
प्रसव कक्ष में लेवर टेबल था जिसके ऊपर कई प्रकार के सामान एवं स्टेशनरी आदि रखे थे।	प्रसव कक्ष में आवश्यक व्यवस्थायें हमेशा तैयार रखने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
ऐसा प्रकृत हो रहा था कभी कोई भी प्रसव नहीं हुआ है अथवा यदि अचानक कोई डिलवरी आ जाय तो प्रसव कक्ष तैयार होने में बहुत ज्यादा वक्त बारबाद हो जायेगा।		
ए0एन0सी0:- गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली समस्त सेवाओं की जानकारी ए0एन0एम0 को नहीं थी।	ए0एन0एम0 को जानकारी दी गई व सहायक सामग्रियों का नियमित अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
परिवार नियोजन-		
गर्भनिरोधक साधनों का स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन करने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
आई0यू0सी0डी0 उपलब्ध है। संविदा ए0एन0एम0 को जानकारी थी परन्तु नियमित ए0एन0एम0 को जानकारी नहीं था।	तीन माह का बफर स्टॉक रखते हुए समय पर मांग की जाये।	ए0एन0एम0
दवाईयों एवं उपकरणों को बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से रखा गया था।	दवाईयों एवं उपकरणों को व्यवस्थित तरीके से रखते हुए लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
रिकार्ड कीपिंग-		
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर नहीं भरा जा रहा था। एम0सी0टी0एस0 नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
केसशीट उपलब्ध नहीं था।	केसशीट उपकेन्द्र पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारीचिकित्साधिकारी / सम्बन्धित ए0एन0एम0
दवाईयों एवं उपकरण		
दवाईयों एवं उपकरणों को बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से रखा गया था।	दवाईयों एवं उपकरणों का रिकार्ड में रख-रखाव एवं भौतिक अवलोकन नियमित रूप से करते रहने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
इकाई पर कोई भी जॉच नहीं की जा रही है।	ए0एन0एम0 द्वारा उपलब्ध किटों व उपकरणों का प्रयोग करते हुए जॉच करते रहने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0

सामुदायिक गतिविधियाँ : ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र अहरौला एवं नोनरा ओरिल, ब्लाक अहरौला ।

- सत्र स्थल पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाडी तैनात थी। वी0एच0एन0डी0 बैनर उपलब्ध था। ए.एन.एम. एवं आशा सत्र स्थल पर आयी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही थी।
- बच्चों की बजन मशीन क्रियाशील नहीं थी। थर्मामीटर, पन्चर प्रूफ बॉक्स, आशा डायरी, उपलब्ध नहीं पायी गयी।
- लाभार्थियों के पास एम0सी0पी0 कार्ड उपलब्ध पाया गया जिसपर एम0सी0टी0एस0 न0 दर्ज किया गया था। किन्तु अधिकांश कार्डों पर आधार न0, बैंक विवरण का आभाव पाया गया।
- जिंक कैल्शियम आई0एफ0ए0 एवं फोलिक एसिड टेबलेट जैसी मूलभूत दवाएं उपलब्ध नहीं है।
- संसाधन विहीनता के कारण वी.एच.एन.डी. सत्र पर सभी जॉच नहीं की जा रही थी।
- परिवार नियोजन सुविधाओं हेतु निश्चय किट, गर्भ निरोधक सामग्री का आभाव पाया गया।
- वी.एच.एन.डी. सत्र में जी.डी.एम.(वी.एच.एन.डी. सत्र में वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ) एवं एच.आई.वी. व सिफलिस (वी.एच.एन.डी. सत्र में वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ) की न तो जॉच की जा रही थी न ही जॉच की जानकारी थी।



Report Analysis Maternal Health

DWH

(Source data HMIS up to Dec 2019)

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
1.1	Total number of pregnant women registered for ANC	8978	
1.2.4	Number of PW given 180 Iron Folic Acid (IFA) tablets	8336	92.85%
1.2.5	Number of PW given 360 Calcium tablets	8339	92.88%
1.2.6	Number of PW given one Albendazole tablet after 1st trimester	651	7.25%
1.2.7	Number of PW received 4 or more ANC check ups	1407	15.67%
1.4.1	Number of PW tested for Haemoglobin (Hb) 4 or more than 4 times for respective ANC's	9354	104.19%
1.4.2	Number of PW having Hb level<11 (tested cases)(7.1 to 10.9)	9045	138.55%
1.4.3	Number of PW having Hb level<7 (tested cases)	3915	
1.4.4	Number of PW having severe anaemia (Hb<7) treated	67	0.72%
1.5.1	Number of PW tested for blood sugar using OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)	3067	34.16%
1.6.2.a	Number of pregnant women tested for Syphilis	2312	25.75%
15.3.3.a	Number of pregnant women screened for HIV	4647	51.76%
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections)	5074	56.52%
2.2.1	Out of total institutional deliveries number of women discharged within 48 hours of delivery	1045	20.60%

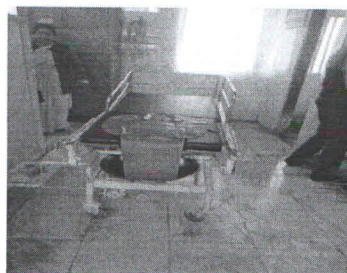
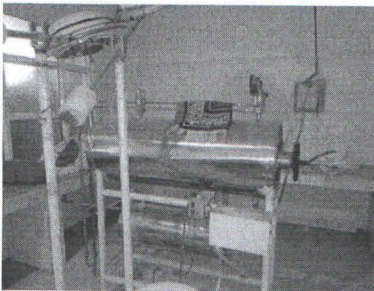
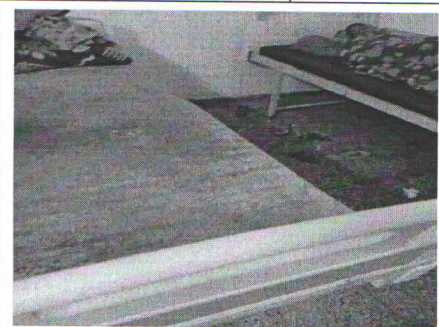
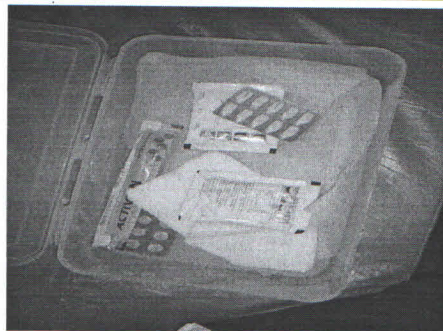
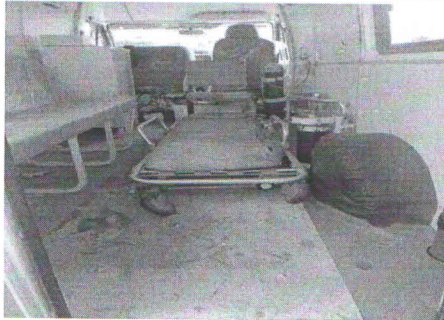
जिला महिला चिकित्सालय के एचओएमआईओएसओ दिसम्बर 2019 तक के रिपोर्ट के ऑकड़ों के आकलन से स्पष्ट है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत एओएनओसीओ के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क औषधियों का वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। आईओएफओ टेबलेट 92.85%, कैल्शियम टेबलेट 92.88%, एवं एल्बेंडाजॉल टेबलेट 7.25% ।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत एओएनओसीओ के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क जाँच की सुविधा से समस्त गर्भवती महिलाओं को आच्छादित नहीं दिया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की चार जाँच 104.19%, मधुमेह की जाँच 34.16%, सिफलिस की जाँच 25.75% एवं एचओआईवीओ की जाँच 51.76% ।
- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत एओएनओसीओ के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव 56.52% है एवं संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 1045 (20.60%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।

महापंडित राहुल संस्कृतायायन जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसर एवं वार्ड की सफाई असंतोषजनक है, आस-पास दुर्गन्ध भी आ रही है एवं परिसर में जानवर देखे गये। वार्ड में चादर साफ नहीं पाया गया	वार्ड व प्रसव कक्ष को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही सफाई व्यवस्था प्रारम्भ कराई गई।	मुओचिओअधीक्षक
प्रसव कक्ष में कैलिश पैड पंचर थे, मैट्रेस फटे थे जिन्हें बदलने की आवश्यकता है, खिड़की की जाली के पास से सिपेज के कारण कई प्रसव कक्ष में मक्खियाँ व धातक किटाणु मौजूद थे।		
लेबर रूम में प्रसव के सापेक्ष बेड तथा लेबर टेबल नहीं है। प्रसव कक्ष डिलवरी लोड के हिसाब से अत्यन्त छोटा है। सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नहीं था।		
केओ एमओ सीओ में स्पेस कम एवं चेयर टूटा था ।		
गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैल्शियम,आईओएफओ एवं फोलिक एसिड टेबलेट वितरित नहीं किया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैल्शियम टेबलेट उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	मुओचिओअधीक्षक

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
जे0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी0एन0सी0 वार्ड में लगा हुआ पाया गया। लाभार्थियों को नाश्ता व भोजन नहीं दिया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार जे0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों गुणवत्तापूर्ण भोजन दिए जाने का सुझाव दिया गया।	मु0चि0अधीक्षक
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर एवं केसशीट नहीं भरा जा रहा था। एम0सी0टी0एस0 नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर एवं केसशीट आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	मु0चि0अधीक्षक
आटोकेलेव रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। ऑपरेशन कक्ष जोनिंग नहीं किया गया था। ऑपरेशन के बाद कपड़ों को फर्स में ही सूखाया जा रहा था। इन्फेक्शन प्रोटेक्शन का कोई भी उपाय व संसाधान नहीं दिखा।	मानकानुसार ऑपरेशन कक्ष एवं आटोकेलेव को व्यवस्थित किया जाना आपेक्षित है।	मु0चि0अधीक्षक
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अहरौला चार बेडेड है, परन्तु तिन बेड ही संचालन योग्य है। मौजूदा एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2019 तक 5,074 प्रसव के सापेक्ष 1045(20.60%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई परन्तु प्रसव पंजिका की जाँच में पाया गया प्रसव भार के अनुसार 18 से 24 घण्टे ही प्रसूतों को रोका जा पा रहा है।	जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बेड का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	मु0चि0अधीक्षक
एम्बुलेन्स सेवा		
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीज को ले जा रही एम्बुलेन्स UP 32 EG 1887 का निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया की एम्बुलेन्स की सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं है एवं एम्बुलेन्स जर्जर हालत में है। एम्बुलेन्स में आवश्यक समस्त दवाईयों, बी0पी0 मापक यंत्र व अन्य उपकरण एवं ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है।	एम्बुलेन्स में मानकानुसार समस्त व्यवस्थायें उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ



Report Analysis Maternal Health

Block Atraulia

(Source data HMIS up to Dec 2019)

Indicator or No.	Indicator	No of PW	%
1.1	Total number of pregnant women registered for ANC	4974	
1.2.4	Number of PW given 180 Iron Folic Acid (IFA) tablets	4969	99.90%
1.2.5	Number of PW given 360 Calcium tablets	3773	75.85%
1.2.6	Number of PW given one Albendazole tablet after 1st trimester	3449	69.34%
1.2.7	Number of PW received 4 or more ANC check ups	3960	79.61%
1.4.1	No of PW tested for Haemoglobin (Hb) 4 or more than 4 times for respective ANC's	4844	97.39%
1.4.2	Number of PW having Hb level<11 (tested cases)(7.1 to 10.9)	3839	86.17%
1.4.3	Number of PW having Hb level<7 (tested cases)	335	
1.4.4	Number of PW having severe anaemia (Hb<7) treated	100	2.06%
1.5.1	Number of PW tested for blood sugar using OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)	229	4.60%
1.6.2.a	Number of pregnant women tested for Syphilis	1356	27.26%
15.3.3.a	Number of pregnant women screened for HIV	916	18.42%
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections)	1215	24.43%
2.2.1	Out of total institutional deliveries number of women discharged within 48 hours of delivery	332	27.33%

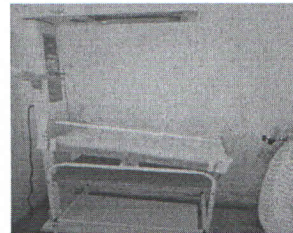
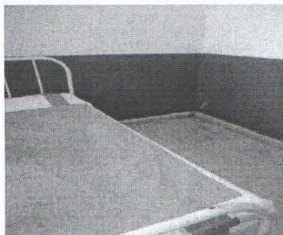
ब्लॉक अतरौलिया के एचओआईएसओ दिसम्बर 2019 तक के रिपोर्ट के आंकड़ों के आकलन से स्पष्ट है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत एओएनसीओ के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क औषधियों का वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। आईओएफओ टेबलेट 99.90%, कैल्शियम टेबलेट 75.85%, एवं एल्बेंडाजॉल टेबलेट 69.35% ।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत एओएनसीओ के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क जाँच की सुविधा से समस्त गर्भवती महिलाओं को आच्छादित नहीं किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की चार जाँच 97.39%, मधुमेह की जाँच 4.60%, सिफिलिस की जाँच 27.26% एवं एचओआईवी की जाँच 18.42% ।
- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत एओएनसीओ के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव 24.43% है एवं संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 332 (27.33%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – अतरौलिया ब्लॉक अतरौलिया

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसर:-		
लेवर रूम में अत्यन्त कम स्पेस है एवं भर्ती मरीजों के लिए शौचालय भी गन्दा एवं शौचालय अक्रियाशील हालत में पाया गया। लेवर रूम में शौचालय नहीं है।	उपलब्ध संसाधनों में आवश्यक व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया। साथ ही सफाई व्यवस्था प्रारम्भ कराई गई एवं समस्त 16 पोस्टरों की साफ्ट कॉपी प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराई गई, साथ ही मानकानुसार प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेवर रूम एवं एओ एनसीओ वार्ड में बिजली व पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं है।	पर्याप्त पावर बैक, एवं बिजली व प्रकाश व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि का अभाव वेटिंग एरिया में देखने को मिला।	मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
इकाई की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।	नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई को मॉन्टेन करने के सुझाव के साथ-साथ सफाई व्यवस्था प्रारम्भ कराई गई।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आईओसीओ:-		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आईओसीओ पुरानी व आवश्यकतानुसार	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आईओसीओ जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का	प्रभारी चिकित्साधिकारी

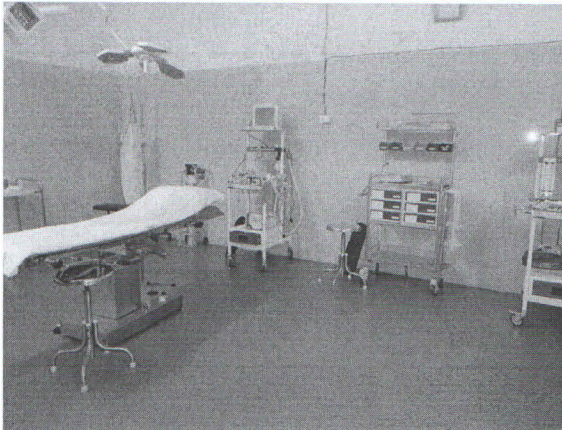
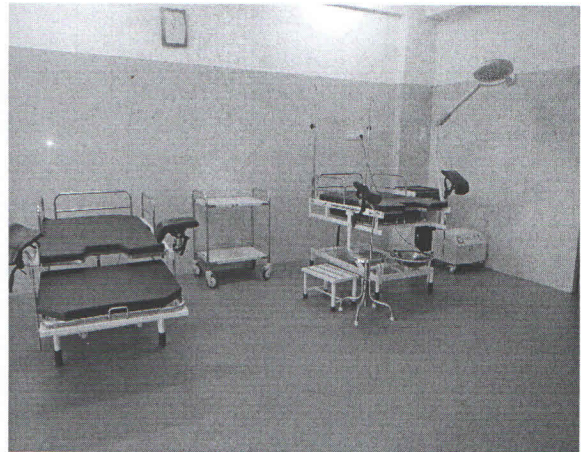
अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
प्रदिशत नही थी।	सुझाव दिया गया।	
परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग नही है।	विभिन्न योजनाओं के अपडेटेड प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बायोमेडिकल वेस्ट-		
उपस्थित स्टाफ को भी बेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। कलर कोडेड डस्टबिन उपलब्ध नहीं है एवं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी क्रियाशील नहीं है। शौचालय प्रयोग करने लायक नहीं था।	बायोमेडिकल वेस्ट का सही प्रकार से प्रबन्धन करने व बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मातृत्व स्वास्थ्य:-		
लेवर रूम में मात्र एक लेवर टेबल है। डिजिटल क्लाक नहीं लगा था। सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नहीं था।	प्रसव कक्ष में मानकानुसार डिजिटल घड़ी, आदि व्यवस्थायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रसव के दौरान इस्तेमाल औजारों को ऑटोकलेव नहीं किया जा रहा है।	ऑटोकलेव व्यवस्था उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर नहीं भरा जा रहा था। एम0सी0टी0एस0 नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
गर्भवती महिलाओं के पास मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0कार्ड)था।जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुराना फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार दो कॉपी में लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नहीं दिया जा रहा है। केसशीट उपलब्ध था। दिशा-निर्देश के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मानकानुसार डाइट रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है।	मानकानुसार रिकार्ड भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। मौजूदा एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2019 तक 1,215 प्रसव के सापेक्ष 332 प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।	जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बेड का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैल्शियम आई0एफ0ए0 एवं फोलिक एसिड टेबलेट वितरित नहीं किया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैल्शियम टेबलेट उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी0एन0सी0 वार्ड में लगा हुआ पाया गया। लाभार्थियों को नाश्ता व भोजन नहीं दिया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत लाभार्थियों गुणवत्तापूर्ण भोजन दिए जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी



100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग अतरौलिया आजमगढ़

चिकित्सालय परिसर एवं वार्ड की सफाई संतोषजनक है। लिफ्ट चालू नहीं हो पा रहा है।

- 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग नया है एवं प्रारम्भ से दिसम्बर 2019 तक मात्र 42 प्रसव हुए हैं।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोयलसा से एक डाक्टर को तीन दिन के लिए अटैच किया गया है एवं ए0एन0सी0 भी तीन दिन ही हो पा रहा है।
- प्रसव कक्ष से एक लेबर टेबल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोयलसा भेज दिया गया है। 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग में उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल कहीं और न किये का जाने का सुझाव दिया गया।
- स्टाफ नर्स सफाई कर्मी एवं अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ आदि ने ज्वाइन कर लिया है परन्तु किसी भी डाक्टर ने न्युक्ती के बाद ज्वाइन करना स्वीकार नहीं किया इस कारण 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग पूर्ण इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अतरौलिया एक उच्च भार वाली प्रसव इकाई है जिसकी दूरी मात्र एक किलोमीटर है एवं लेबर रूम में मात्र एक लेबर टेबल है। इस प्रसव इकाई से गर्भवती महिलाओं को 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग अतरौलिया में भेजा जाय। डाक्टर की उपलब्धता न तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अतरौलिया में है न ही 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग अतरौलिया में अतः डाक्टर की उपलब्धता के कारण 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग प्रसव के कार्य को न रोका जाय।
- 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग में होने वाले प्रसव एवं ए0एन0सी0 की रिपोर्टिंग एच0एम0आई0एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 किये का जाने का सुझाव दिया गया।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक माह की 09 तारीख को आयोजित किये जाने वाले गुणवत्तापरक ए0एन0सी0 जाँच की सुविधा प्रारम्भ किये का जाने का सुझाव दिया गया एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के पोर्टल पर 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग को पंजिकृत भी कर लिया गया।



Report Analysis Maternal Health

District Azamgarh

(Source data HMIS up to Dec 2019)

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
	ANC target	115,215	%
1.1	Total number of pregnant women registered for ANC	137,013	119%
1.2.4	Number of PW given 180 Iron Folic Acid (IFA) tablets	102,333	75%
1.2.5	Number of PW given 360 Calcium tablets	71,667	52%
1.2.6	Number of PW given one Albendazole tablet after 1st trimester	13,266	10%
1.2.7	Number of PW received 4 or more ANC check ups	89,421	65%
1.4.1	Number of PW tested for Haemoglobin (Hb) 4 or more than 4 times for respective ANC's	112,759	82%
1.4.2	Number of PW having Hb level<11 (tested cases)(7.1 to 10.9)	51,897	54%
1.4.3	Number of PW having Hb level<7 (tested cases)	8,665	
1.4.4	Number of PW having severe anaemia (Hb<7) treated	1,183	1%
1.5.1	Number of PW tested for blood sugar using OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)	10,933	8%
1.6.2.a	Number of pregnant women tested for Syphilis	23,264	17%
15.3.3.a	Number of pregnant women screened for HIV	68,722	50%
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections)	34,384	25%
2.2.1	Out of total institutional deliveries number of women discharged within 48 hours of delivery	13,527	39%
	MDSR		
16.5.1	Number of Maternal Deaths due to Bleeding	2018-19 (32)	Zero
16.5.2	Number of Maternal Deaths due to High fever	2018-19 (02)	Zero
16.5.3	Number of Maternal Deaths due to Abortion	2018-19 (01)	Zero
16.5.4	Number of Maternal Deaths due to Obstructed/prolonged labour	2018-19 (01)	Zero
16.5.5	Number of Maternal Deaths due to Severe hypertensnion/fits	2018-19 (18)	1
16.5.6	Number of Maternal Deaths due to Other Causes (including causes not known)	2018-19 (38)	17
	Total Maternal Deaths	2018-19 (92)	18
16.6	Total Facility Based Maternal Death Reviews (FBMDR) done	2018-19 (02)	9(50%)
24.1	Total Maternal Deaths Reviewed (MDR) by CMO	2018-19 (01)	Zero
24.2	Total Maternal Deaths Reviewed (MDR) by DM	2018-19 (zero)	Zero
24.3	Number of maternal deaths reported through Community based Maternal Death Review	2018-19 (02)	Zero
25.1.1	Number of Pregnant Women provided - Free Medicines under JSSK		Zero
25.1.2	Number of Pregnant Women provided - Free Diet under JSSK		Zero
25.1.3	Number of Pregnant Women provided - Free Diagnostics under JSSK		Zero
25.1.4	Number of Pregnant Women provided - Free Home to facility transport under JSSK		Zero
25.1.5	Number of Pregnant Women provided - Interfacility transfers when needed under JSSK		Zero
25.1.6	Number of Pregnant Women provided - Free Drop Back home under JSSK		Zero
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections) 2018-19		43,242
6.3	Number of mothers provided full course of 180 IFA tablets after delivery		26,147 (60%)
6.4	Number of mothers provided 360 Calcium tablets after delivery		22,972 (53%)

जनपद आजमगढ़ में के एच0एम0आई0एस0 दिसम्बर 2019 तक के रिपोर्ट के आँकड़ों के आकलन से स्पष्ट है।

- जनपद आजमगढ़ के सभी जनस्वास्थ्य इकाईयों (Public health facilities) में निर्धारित लक्ष्य से 19% ज्यादा ए0एन0सी0पंजीकृत अर्थात संभावित गर्भवती महिलाओं को चिन्हीकृत कर जनस्वास्थ्य इकाईयों में लाने में जनपद आजमगढ़ को सफलता मिली है परन्तु मातृत्व स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्रदान करने में सफलता नहीं मिली है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए0एन0सी0 के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क औषधियों का वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। आई0एफ0ए0 टेबलेट 75%,कैल्शियम टेबलेट 52%, एवं एल्बेंडाजॉल टेबलेट 10%।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए0एन0सी0 के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क जाँच की सुविधा से समस्त गर्भवती महिलाओं को आच्छादित नहीं किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की चार जाँच 82%, मधुमेह की जाँच 8%, सिफलिस की जाँच 17% एवं एच0आई0वी0 की जाँच 50%.

- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए0एन0सी0 के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव 25% है एवं संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 13,527 (39%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।
- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव के सापेक्ष धात्री माताओं आई0एफ0ए0 टेबलेट 60% एवं कैल्शियम टेबलेट 53% नहीं दिया जा रहा है।
- एम0डी0एस0आर0 के अन्तर्गत मातृ मृत्यु समीक्षा नहीं कि जा रही है।
 - मातृ मृत्यु 2018-19 में 92 सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा(CBMDR)-2 एवं फैसिलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (FBMDR)-2 मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता 1 मातृ मृत्यु समीक्षा एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता कोई मातृ मृत्यु समीक्षा नहीं हुई।
 - मातृ मृत्यु 2019-20 में 18 (8 मातृ मृत्यु अतरौलिया ब्लॉक में है) सामुदायिक स्तर पर कोई मातृ मृत्यु समीक्षा(CBMDR) नहीं हुई एवं फैसिलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (FBMDR)-9 मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोई मातृ मृत्यु समीक्षा नहीं हुई।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद के भौतिक रिपोर्टों में एकरूपता नहीं है। एच0एम0आई0एस0 के अनुसार 34,384 संस्थागत प्रसव, निदेशालय को प्रेषित गये प्रपत्र 18 के अनुसार 34,583 संस्थागत प्रसव एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 के अनुसार 34,763 संस्थागत प्रसव है।
- यू0पी0एच0एम0आई0एस0 के अनुसार 34,763 संस्थागत प्रसव हुए है परन्तु इसी सूचना को जब यू0पी0एच0एम0आई0एस0 रिपोर्ट में ग्रामीण व शहरी प्रसव के संदर्भ में देखा जाता है तो 7,160 प्रसवों का अंतर आ रहा है। यू0पी0एच0एम0आई0एस0 के अनुसार संस्थागत ग्रामीण प्रसवों की संख्या 21,546 एवं संस्थागत शहरी प्रसवों की संख्या 6,057 है।

जननी सुरक्षा योजना आजमगढ़					
Source data UPHMIS- 01/22/2020-17:10:10 PM					
	As per UPHMIS	As per format 18		As per format 18	As per UPHMIS
जे.एस.वाई. में वर्ष 2019 – 2020 हेतु प्रसवों का वार्षिक लक्ष्य	62,845	62,845	कुल संस्थागत ग्रामीण प्रसवों की संख्या	34,269	21,546
जि० म० संयुक्त चिकित्सालयों में हुए प्रसवों की संख्या	5,013	4,531	कुल संस्थागत शहरी प्रसवों की संख्या	314	6,057
ब्लॉक सी०एच०सी० ब्लॉक पी०एच०सी० में हुए प्रसवों की संख्या सी०एच०सी०/पी०एच०सी० में हुए प्रसवों की संख्या	27,601	28,810	कुल संस्थागत प्रसव संख्या	34,583	27,603
क्रियाशील स्वास्थ्य उपकेंद्र पर हुए प्रसवों की संख्या	2,149	1,242	भुगतान किये गये लाभार्थियों की संख्या	29,946	11,092
कुल	34,763	34,583	प्रकरणों की संख्या जिनमें लाभार्थी के साथ आशा भी आई 40 एवं भुगतान किये गये 9,529	33,410	40

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक

बैठक के प्रतिभागी – समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक-एन0एच0एम0, जिला लेखा प्रबन्धक-एन0एच0एम0, समस्त ब्लॉक चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, बी0पी0एम0 (ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक) बी0ए0एम0 (ब्लॉक लेखा प्रबंधक) ब्लॉक सामुदायिक कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एवं जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य

जनपद आजमगढ़ में निम्न महत्वपूर्ण समस्या/तथ्य है, जिनके कारण कार्यक्रमों के संचालन प्रभावित हो रहा है।

- जनपद में “जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम” के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन का टेण्डर समाप्त हो जाने के कारण पूरे जनपद में 4 माह से निःशुल्क भोजन नहीं दिया जा रहा है। दिशा-निर्देश के अनुसार तत्काल प्रथमिकता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने एवं टेण्डर प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का निस्तारण शिघ्र अति शिघ्र करने का सुझाव दिया गया।
- मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कई नई गतिविधियों का संचालन वी.एच.एन.डी. स्तर पर हो रहा है। वी.एच.एन.डी. स्तर में जी.डी.एम.(वी.एच.एन.डी. स्तर में वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ) एवं एच.आई.वी. व सिफलिस (वी.एच.एन.डी. स्तर में वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ) की जाँच की जानकारी एवं आवश्यक उपकरणों व किट का अभाव पाया गया। ग्लूकोमीटर के पाँच वर्ष की वारण्टी है इनके मरम्मत कराये जायें एवं वी.एच.एन.डी. स्तर तक उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जाँच के लिए अलग से वैक्सिन कैरियर क्रय किया गया था। ब्लॉक मोहम्मदपुर व बिलारीगंज को छोड़कर सभी को वितरित कर दिया गया है परन्तु वी.एच.एन.डी. स्तरों में दो वैक्सिन कैरियर नहीं ले जाया जा रहा है। रुपये 25 ए0वी0डी0 देने का प्रावधान है परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया है। ए.एन.एम स्तर पर जी.डी.एम., एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की बेसिक जानकारी का अभाव पाया गया है अतः पुनः रीफ़े़र प्रशिक्षण की कार्यनीति पर विचार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद का औषधियों वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है।
- भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार सभी गर्भवती महिलाओं को 500 मिलीग्राम कैल्शियम की 02 गोली प्रतिदिन दी जानी है प्रत्येक कैल्शियम की गोली में 500 मिली ग्राम एलीमेन्टल कैल्शियम एवं 250 IU विटामिन डी-3 की आवश्यकता है परन्तु जनपद में समस्त गर्भवती महिलाओं कैल्शियम का वितरण नहीं किया जा रहा था। जबकी सी0एम0एस0डी0 के रिकार्ड के अनुसार 31,40,000 कैल्शियम टेबलेट सी0एम0एस0डी0 में उपलब्ध है। सी0एम0एस0डी0 द्वारा ब्लॉक चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा न ले जाने का कारण बताया गया एवं दूसरी ओर प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों का कहना था सी0एम0एस0डी0 द्वारा सप्ताह में मात्र तीन दिन औषधियों का वितरण किया जाता है एवं आने के बाद कई धंटे तक बैठने जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोनों पक्षों के द्वारा बताई गई स्थिति खेद जनक है उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी आर सी एच एवं औषधी को उक्त व्यावसायिक दिक्कतों का निस्तारण करने एवं दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैल्शियम 720 टेबलेट का वितरण सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया।
- नये मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) पूर्ण रूप से भरे जायें। विशेषकर बैंक खाता, आधार संख्या, एम0सी0टी0एस0, मोबाईल नम्बर व ए0एन0सी0 जाँच की प्रविष्टि अवश्य की जाए।
- दिशा-निर्देश के अनुसार मातृ मृत्यु समीक्षा एवं उचित तरीके से रिपोर्टिंग किये जाने का अनुरोध किया गया।
- एच0आर0पी0 इंसेंटिव का ससमय भुगतान आशा एवं ए0एन0एम0 किये जाने का अनुरोध किया गया।
- भ्रमण के दौरान पायी गयी जनपद की यथास्थिति से मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया एवं कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाईयों एवं प्रसव कक्ष को मानकानुसार तैयार किये जाने एवं समस्त आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।
- जे0एस0वाई0 की उपलब्धि में गिरावट के कारणों को चिन्हित कर उपलब्धि बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।

- वी.एच.एन.डी. सत्र एवं स्वास्थ्य इकाइयों में जी.डी.एम.एवं एच.आई वी. व सिफलिस की जाँच के प्रति उदाशीनता एवं अन्य कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- ए.एन.सी. रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, जे0एस0वाई0 भुगतान आदि का इंचार्ज द्वारा नियमित अवलोकन कर त्रुटियों को ठीक कराया जाये। प्रसूताओं को डिस्चार्ज के समय जे0एस0वाई0 भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया जाये। सभी स्टैण्डर्ड रजिस्टर के सभी कालम भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए जनपद एवं ब्लाक स्तर पर ठोस कार्यनिती बनाने का अनुरोध किया गया।
- 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के सफल संचालन हेतु विस्तृत चर्चा की गयी।
 - किसी भी स्वास्थ्य इकाई में "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" कार्यक्रम के अर्न्तगत निःशुल्क प्रदान की जानी वाली सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए वाल राइटिंग नहीं किया गया है एवं हैंडबिल न तो छपवाया गया है न ही वितरित किया गया है।
 - "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक तथा चिन्हित जनपद व ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर बैठक भी नहीं किया गया है।
 - "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक जनपद में एक मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक बनाया जाना प्रस्तावित है परन्तु जनपद में मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक अभी तक नहीं बनाया गया है।
 - प्रावाधान के अनुसार "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" कार्यक्रम के अर्न्तगत राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना चेक-अप कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं को अल्पाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
 - "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" कार्यक्रम के अर्न्तगत 05 पंजीकृत स्वैच्छिक सेवा प्रदाता निजी चिकित्सकों से स्वैच्छिक सेवा लेने की कार्यनिती बनाने को कहा गया। स्वैच्छिक सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को पोर्टल पर डाटा अपलोड करने एवं यात्रा व्यय का भुगतान तत्काल किये जाने का पुनः अनुरोध किया गया।
 - 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2019 तक 1,37,013 पंजीकृत ए0एन0सी0 के सापेक्ष जनवरी 2020 तक 12,439 (9.08%) गर्भवती महिलाओं को ए0एन0सी की सेवा से आच्छित किया गया है। दूसरी एवं तीसरी तिमाही पर प्रथम बार आने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या भी बहुत कम 7,000 (5.11%) है।
- बैठक में समस्त ब्लाकों से निम्नवत् बिन्दुओं पर पुनः चर्चा की गयी -
 - दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ससमय अधिकतम व्यय किया जाना। रोजाना भुगतान तथा लेखांकन किये जाने का अनुरोध किया गया।
 - एच0एम0आई0एस0, यू0पी0एच0एम0आई0एस0, एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण डाटा समय पर प्रविष्ट किया जाना।
 - जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मुख्यधारा में लाया जाय।
 - जे0एस0वाई0 का भुगतान 48 घण्टे में किया जाना।
 - प्रसूता द्वारा प्रसव के 48 घण्टे तक इकाई में ठहरा जाना।

बैठक में उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हेतु भ्रमण में पायी गयी कमियों को जनपद एवं ब्लाक स्तर से तत्काल दूर किये जाने को कहा गया एवं राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्यों को ससमय प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य चिकिसाधिकारी, उप मुख्य चिकिसाधिकारी महोदय एवं समस्त प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। उप मुख्य चिकिसाधिकारी महोदय द्वारा डी0पी0एम0यू0 यूनिट, समस्त ब्लाक चिकित्सा अधीक्षको एवं बी0पी0एम0यू0 यूनिट को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(जैनन्दे कुमार मिश्रा)
परामर्शदाता, प्रोक्तोरमेण्ट

(प्रभाकर तिवारी)
परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य